सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ट सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	परिचय एवं उद्देश्य।	3–4
3.	वर्तमान एजेण्डा ।	5
4.	प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव।	6–9
5.	पिछले प्रेम बैठक (28.12.2017) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी।	10–25

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.30	11.32
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय सम्बोधन।	महाप्रबंधक	11.32	11.37
3.	पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.37	11.52
4.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.52	12.12
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	ईसीआरपीएफए	अध्यक्ष	12.12	12.22
		महासचिव		
	एससी/एसटी एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.22	12.32
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.32	12.42
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.42	12.52
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.52	13.02
		महासचिव		
5.	वर्तमान एजेण्डा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	13.02	13.18
6.	वर्तमान एजेण्डा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष की अनुमति से	13.18	13.28
7.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.28	13.30

परिचय

- प्रेम (PREM) –प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी
- इसे रेल मंत्रालय स्तर पर वर्ष–1972 में एवं क्षेत्रीय रेल स्तर पर वर्ष–1977 में स्थापित किया गया था।
- भारतीय रेल में यह त्रिस्तरीय आधर पर कार्य करता है।
  1. रेलवे बोर्ड स्तर (श्रम प्रबंधन का कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज समूह)
  2. क्षेत्रीय रेल स्तर
  3. मंडल रेल स्तर

रेलवे बोर्ड स्तर

- अध्यक्ष– अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
- संयोजक– सचिव रेलवे बोर्ड
- प्रशासन की ओर से–सदस्य रेलवे बोर्ड,सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक
- कर्मचारी की ओर से–एआईआरएफ एवं एनएफआईआर के चार–चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के–दो प्रतिनिधि

क्षेत्रीय रेल स्तर

- अध्यक्ष– महाप्रबंधक
- सचिव – उप महाप्रबंधक/सामान्य
- प्रशासन की ओर से – अपर महाप्रबंधक एवं सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू(प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संघ के –दो प्रतिनिधि
- एससी/एसटी संध के–दो प्रतिनिधि
- ओबीसी संध के–दो प्रतिनिधि
- आरपीएफ संध के–दो प्रतिनिधि

मंडल रेल स्तर

- अध्यक्ष– मंडल रेल प्रबंधक
- सचिव – वरि0 मंडल कार्मिक अधिकारी /मंडल कार्मिक अधिकारी
- प्रशासन की ओर से –अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी शाख अधिकारी
- कर्मचारी की ओर से –ईसीआरकेयू (प्रभावित यूनियन) के चार प्रतिनिधि
- रेलवे अधिकारी संध के–दो प्रतिनिधि
- रेलवे प्रोमोटी अधिकारी संध के –दो प्रतिनिधि

वर्ष 2016 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

बैठक :तीन महीने में एक बार

- प्रथम बैठक : 29 अप्रैल 2016
- द्वितीय बैठक :02 सितम्बर 2016
- तृतीय बैठक :15 दिसम्बर 2016

वर्ष 2017 में क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित प्रेम बैठक

- प्रथम बैठक : 24 मार्च 2017
- द्वितीय बैठक : 24 अगस्त 2017
- तृतीय बैठक : 28 दिसम्बर 2017

उद्देश्य

- रेलवे संगठन की व्यवहारिक कार्यक्षमता को विकसित करने और रेलवे की सेवा प्रदाता संगठन की छवि बनाये रखने के मुख्य उद्देश्य से प्रबंधन मे श्रमिकों की बेहतर और सुव्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- रेलवे संगठन के संचालन और गठन करने हेतु विचारों का प्रमाणित एवं निर्वाध रुप से आदान–प्रदान करना।
- निवेश कार्यक्रमों खासकर आवास और कल्याण गतिविधियों का मूल्यांकन।
- नोटः कर्मचारी मामलों पर विमर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक की संगठन को समग्र उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाय।

प्रबंधन मे श्रमिकों की भागीदारी

- 1917 में यूनाइटेड किंगडम में **बहीटले** समिति ने अनुशंसा की थी कि निम्न के विमर्श के लिए कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर देना चाहिएः–
- संगठन, कर्मचारी और समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
- उत्पादकता की प्रक्रिया में कर्मचारी को संगठन में उनकी भूमिका को बेहतर रुप से समझने के लिए।
- औद्योगिक शांति, बेहतर संबंध और सहयोग प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए।
- रेलवे में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को लंबे समय से साझा बनाते हुए श्रमिकों की भागीदारी निम्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए रही हैः–
- कर्मचारी कल्याण निधि समिति
- आवास समिति
- रनिंग रुम सलाहकार समिति
- कैंटीन प्रबंधन समिति
- हॉस्पीटल विजिटिंग समिति
- श्रमिक सलाहकार समिति
- रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब का कार्यकारी समिति
- वर्कशॉप उत्पादकता परिषद्
- इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल और मंडलों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन और श्रमिकों की सामूहिक उद्यम समूहका गठन कर लिया गया है जिसे अब **प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) कहा जाता है।**

चर्चा का विषय

" महिलाओं का योगदान
रेलवे वर्किंग में कैसे बढ़े "

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

1.0	**एजेंडा– महिलाओं का योगदान रेलवे वर्किंग में कैसे बढ़े।**	प्रेम ग्रुप/ विभागाध्यक्ष
1.1	1. सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. महिलाओं का रेलवे वर्किंग में योगदान बढ़ाने हेतु कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 3. आजकल प्रायः सभी विभागों में महिलाओं की अच्छी संख्या है तथा जहां सामूहिक कार्य होता है,वहां इसे समूह में महिलाओं को दायित्व सौंपकर उनके योगदान को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसेः– • ट्रैकमैन में एक यूनिट बनाकर रख–रखाव का कार्य दिया जा सकता है। • कोचिंग डिपो में IOH कार्य उनसे कराया जा सकता है। • टिकट चेकिंग में महिलाओं का स्क्वायड बनाकर उपयोगी बनाया जा सकता है। • बुकिंग कार्यालय में दिन की पाली में पूरा कार्यभार सौंपकर योगदान बढ़ाया जा सकता है। • सिगनल विभाग में कार्यरत महिलाओं को बड़े स्टेशनों के सिगनलिंग सिस्टम के अनुरक्षण कार्य हेतु दिन में कार्य पर लगाया जा सकता है। 4. रेलवे बोर्ड के पत्रांक –OM No. 28034/2/27 Estt A दिनांक 03.04.1996,12.06.1997 एवं 05.11.1997 के अनुसार पति–पत्नी को सुविधनुसार एक अथवा यथासंभव कम दूरी पर पदस्थापित कर महिलाओं के योगदान को बढ़ाया जा सकता है। 5. गार्ड एवं ड्राइवर में कार्यरत महिलाओं को दिन में कम दूरी के रनिंग ड्यूटी में लगाया जा सकता है। 6. रात्रि ड्यूटी करने वाली महिलाओं को बड़े स्टेशनों में 2 दिन की पाली में भी कार्य कराया जा सकता है।	महासचिव ईसीआरकेयू
1.2	रेलवे कार्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है बशर्ते उन्हें समुचित अवसर मिले। मौका मिलने पर ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सफलता के झंडे गाड़े। 2017 में महिला दिवस के अवसर पर पटना से बक्सर तक महिलाओं का परिचालन में योगदान के लिए रेलवे द्वारा किए गये पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल माना जाता है। इस वर्ष 2018 में महिला दिवस पर दानापुर मंडल तथा अन्य मंडलों में भी महिलाओं ने रेल परिचालन के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। • महिलाओं को सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। • महिलाओं के लिए उनके कार्य स्थल पर अलग से शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका अभाव देखा जाता है। • सूचना एवं संचार क्रांति में महिलाओं की अहम भूमिका हो सकती है। रेलवे में उन्हें इस क्षेत्र में अवसर मिलना चाहिए।	महासचिव ईसीआरओबीसी एशो0

1.3	1. रे.सु.बल महिला पोस्ट का सृजन होना चाहिए। 2. महिला बल सदस्यों की ड्यूटी सर्कुलेटिंग एरिया में होनी चाहिए। 3. प्लेटफार्म पर भी महिला बल सदस्यों की तैनाती प्रत्येक शिफ्ट में होनी चाहिए। 4. रेल अधिनियम 162 के अंतर्गत कार्रवाई महिला बल सदस्यों के द्वारा की जानी चाहिए। 5. ट्रेन मार्गरक्षण में भी महिला बोगी में महिला बल सदस्यों की तैनाती होनी चाहिए। 6. महिला बल सदस्यों के लिए अलग महिला बैरक होना चाहिए। 7. प्रत्येक पोस्ट पर महिला हाजत होना चाहिए और उन हाजत पर महिला बल सदस्यों के लिए अलग महिला बैरक होना चाहिए।	कार्यकारी महासचिव आरपीएफ एशो0
1.4	भारतीय रेलवे में महिलाओं का योगदान दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा हैं। आज आलम यह है कि 13 लाख रेलवे कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या 1 लाख है, जो लगभग 8 प्रतिशत है। पहले जहां महिलाएं रेलवे में कार्यालय कार्य तक ही सीमित थी, अब रेल के हर गतिविधि में शामिल हैं। आज टीटीई से लेकर लोको ड्राईवर तक का दायित्व निभा रही है। चाहे परिचालन हो, अनुरक्षा, सुरक्षा व कारखाना हो, सभी जगह महिलाओं की उपस्थिति ही नहीं दर्ज हुई ब्लकि पूर्ण कार्य कुशलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहण कर रही है। अभी हाल ही मे 08 मार्च महिला दिवस के दिन कुछ स्टेशनों को प्रयोग के तौर पर महिला कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने स्टेशन के सारे क्रियाकलापों का सफलता पूर्वक निर्वहण किया। अब महिलाएं अकेले सूदूर क्षेत्रों मे ट्रेन परिचालन का संचालन रात दिन कर रही है। इनकी सुरक्षा हेतु महिला बटालियन बनाया जा रहा है। रेल परिचालन के हर क्षेत्र मे इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है और यह उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है। **रेलवे वर्किंग मे महिलाओं के योगदान को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाया जा सकता है।** (1) **अनुकूल माहौल बनाकरः**– महिलाओ के संवेदनशीलता को देखते हुए उनके कार्य करने हेतु अनुकूल महौल देना होगा। कार्यस्थलों मे यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए शख्त कदम उठाये जाएं तथा समय समय पर लिंग समानता (Gender equality) पर कार्यशाला आयोजित की जाये। (2) **प्रोत्साहनः**– जो महिला अभी वर्तमान मे कार्य कर रही हैं उसे प्रोत्साहित किया जाये जिससे की आगे अधिक महिलाएं प्रेरित होकर रेलवे मे योगदान दे सकें। (3) जागरूकताः– महिलाओं के बीच रेलवे के प्रति जागरूकता पैदा करना व रेलवे के प्रति आर्कषण पैदा करना ताकि रेलवे के साथ जुड़ें। इसमें काफी संभावना है। जैसी योग्यता व दक्षता है, उसके अनुरूप कार्य उपलब्ध है। (4) **रेलवे विश्वविद्यालयः**– रेलवे विश्वविद्यालय में महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाय व अध्ययन के उपरांत रेलवे मे सेवा दिया जाय। (5) राज्य सरकार का दायित्व है कि वे Women crime graph में कमी लाएं जिससे उनका आत्मविश्वास जग सके। महिलाओं को सशक्त ही नहीं, सुरक्षित करना आज की प्राथमिकता बन चुकी है। महिलाओं का विकास और सशक्ती करण वर्तमान केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। सरकार द्वारा प्रचालित योजनाओं से न सिर्फ सशक्तिकरण हुआ हैं बल्कि उनके प्रति सम्मान मे भी वृद्वि हुई है। समाज की सोच भी बदली है और महिलाओ पर भरोसा भी बढ़ा है।	प्रमुपरिप्र
1.5	1. कार्यस्थल पर महिला कर्मियों के सामान्य गतिविधियों में सुरक्षा और संरक्षा का वातावरण तैयार करना।	प्रमुइं

	2. भेद की दृष्टि से महिला कर्मचारियों के कार्यों का चयन और प्रतिपादन में विभेद का दृष्टिकोण न अपनाया जाय। 3. प्रतिभा और क्षमता पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना। 4. पुरूष सहकर्मियों द्वारा कामकाज के दौरान संयमित और मार्यादित भाषा का प्रयोग। 5. महिला कर्मचारियों के खान पान एवं व्यक्तिगत व्यवहार पर कोई अनावश्यक टिप्पणी न हो। 6. उनके दैनिक कार्यो के निष्पादन और क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना।	
1.6	1. अधिक संख्या में महिला कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में नीति बने। 2. प्रत्येक कार्यालय में एक या दो कार्य –यूनिट पूरी तरह महिला कर्मचारियों को सौंप दिया जाए। 3. प्रत्येक मंडल का दो बुकिंग कार्यालय और एक आरक्षण कार्यालय महिला कर्मचारियों द्वारा संचालन हेतु नामित कर दिया जाए।	प्रमुवाप्र
1.7	1. **छोटे–छोटे महिला समूह बनाकर :–**सभी विभागों/यूनिटों/कारखानों में छोटे–छोटे समूह/यूनिट बनाकर महिलाओं को कार्य में लगाकर योगदान बढाया जा सकता है। 2. **कार्यस्थल से कम दूरी पर पदस्थापना :–** महिलाओं को यथासंभव निजी/रेल आवास के नजदीक जो कार्यस्थल हो, पदस्थापित किया जा सकता है, ताकि वे कार्यालय के कार्य सम्पन्न करने के साथ–साथ अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। 3. **बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था :–** कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए Refreshment Room/Common Room इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। 4. **सरल कार्यों/भयमुक्त एवं तनावमुक्त अनुकूल माहौल बनाकर :–** महिलाओं के संवेदनत्र..शीलता को देखते हुए उनके तनावमुक्त कार्यों का बांटबारा साथ ही कार्यस्थल पर भयमुक्त अनुकूल माहौल बनाकर योगदान बढाया जा सकता है। 5. **प्रोत्साहन** :– समय–समय पर प्रोत्साहन की उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। 6. **जागरूकता** :– महिलाओं के बीच रेलवे कार्य के प्रति जागरूकता (रेलवे में योग्यता व दक्षता के अनुरूप) पैदा की जानी चाहिए। 7. **कार्य स्थल पर सहकर्मी का सकारात्मक सहयोग**:– महिलाओं का उनके कार्य स्थल पर सहकर्मी के द्वारा उचित/सकारात्मक मार्ग दर्शन दिया जाना चाहिए, जिससे कि दिए गए आवंटित कार्य का निष्पादन तनावमुक्त रहकर कर सकें।	प्रमुयांई
1.8	1. मेडिकल कार्यालय में कॉमन रुम की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. महीना में दो दिन विषेश अवकाश देना चाहिए जिस प्रकार बिहार सरकार के महिला कर्मचारियों को दिया जाता है। 3. ड्रेस कोड अनिवार्य रुप से रखा जाए । 4. महिलाओं का यथासंभव उनके निजी आवास के निकटतम दूरी पर पदास्थपना की व्यवस्था किया जाना चाहिए। 5. महिलाओं के लिए स्पेशल भर्ती निकालना चाहिए। 6. महिलाओं का रेलवे वर्किंग में योगदान बढाने हेतु कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं की	प्रमुचिनि

	समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।	
1.9	1. भारतीय रेल के महिला कर्मी की हर जरूरत की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। 2. उनके लिए एक साफ–सुथरा माहौल बने ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो, जिससे वो कार्य के प्रति प्रगतिशील रहे। 3. शिकायत निवारण के लिए महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना हानी चाहिए। 4. गैर सरकारी संस्थानों की तरह BABY DAY CARE की स्थापना होनी चाहिए,ताकि उनके बच्चों की देखभाल हों सके। 5. महिला दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मानित कर उन्हें गौरवान्वित किया जाना चाहिए।	प्रविस
1.10	1. महिलाओं के रेलवे में योगदान में उन्नति एवं बढ़ोत्तरी हेतु सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, भयमुक्त एवं तनावमुक्त परिवेश का गठन किया जाना । 2. रेलवे में महिलाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाय, जिससे कि इनके मनोबल एवं कार्यदक्षता स्वतः बढ़े । 3. इन्हें कार्यस्थल के नजदीक रेल आवास की उचित व्यवस्था की जाय तथा रेसुब महिला बल कर्मियों के लिए कार्यस्थल के नजदीक सुसज्जित अलग बैरक की व्यवस्था की जानी चाहिए । 4. कार्यालयों के साथ महिला स्टाफ एवं रेसुब महिला स्टाफ को बीट ड्यूटी/कार्यालय ड्यूटी में अकेले तैनाती न किये जाने पर ध्यान रखा जाय । 5. इन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की उचित व्यवस्था किया जाय । 6. कार्यस्थल पर महिला स्टाफ के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था एवं प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 7. कार्यस्थल पर महिला स्टाफ के लिए अलग से मध्यांतर भोजन एवं नाश्ता हेतु अलग रूम की व्यवस्था किया जाना चाहिए ।	प्रमुसुआ
1.11	भारतीय रेलवे सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ी संस्था है जिसमें यात्री एवं माल ढुलाई का कार्य किया जाता है। रेलवे के कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में महिलाएं अपनी प्रतिभा द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, ट्रेन परिचालन एवं संचालन के अलावा अन्य सभी विभागों में कार्यरत हैं। महिलाओं का सदुपयोग ट्रेन एवं प्लेटफार्मों पर टिकट चेकिंग में किया जाए जिससे बिना टिकट महिला यात्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा कार्यालय के अन्य सभी विभागों में उपलब्ध कार्यों को कराकर उनके मनोबल को ऊँचा रखा जा सकता है। बहु कौशलीय के तहत महिला कर्मचारियों के उत्साह बनाये रखने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजना का प्रावधान होना चाहिए। महिलाएं खेल–कूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेकर अपने अनुभव को बढ़ा सकती है। इस तरह महिलाओं का योगदान रेलवे वर्किंग में बढ़ाया जा सकता है।	प्रमुसाप्र
1.12	1. महिलाओं का यथासंभव उनके निजी आवास/रेलवे आवास से निकटतम दूरी पर पदास्थापना की व्यवस्था किया जाना चाहिए जिससे कार्य स्थल पर आने – जाने में उन्हें सुविधा हो । 2. महिलाओं को उनके कार्य स्थल पर सहकर्मी एवं वरिष्ठ द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, जिससे कि दिए गए आवंटित कार्य का निश्चित समय पर निष्पादन किया जा सके। 3. कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए।	मुसंधि

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 28.12.2017) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	**श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष / ईसीआरकेयू**		
1.1	सफाई हेतु कॉलोनियो में एक बोर्ड प्रदर्शित की जानी चाहिए कि कितने कर्मचारी उपस्थित हैं तथा उन्हें कौन–कौन से कार्य करने हैं।	प्रमुचिनि प्रमुइं	संबंधित CHI/HI को सुनिश्चितता हेतु निर्देशित किया गया है। यह चिकित्सा विभाग से संबंधित है।
1.2	स्टेशन एवं कॉलोनी की सफाई के साथ–साथ नालों की सफाई भी होनी चाहिए।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र प्रमुइं	स्टेशन एवं कॉलोनी की सफाई के साथ–साथ नाले की भी सफाई की जाती है तथा बड़े नाले को आउटसोर्सिंग द्वारा साल में एक बार सफाई किया जाता है। सफाई कार्य में नालों की सफाई शामिल है, जिसे स्टेशन/ कॉलोनी की सफाई के क्रम में किया भी जाता है। विशेष टिप्पणी इंजीनियरिंग विभाग से प्राप्त की जा सकती है। नालियों की सफाई का कार्य चिकित्सा विभाग के अधीन है।
1.3	स्टेशनों की सफाई हेतु स्टेशन मास्टरों को दी जाने वाली इम्प्रेस्ट की जांच करते हुए इसे और तार्किक बनाया जाय।	प्रविस प्रमुपरिप्र प्रमुचिनि	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02. 2018 से पूर्व मघ्य रेल के सभी मंडल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। नोट किया गया । चिकित्सा विभाग से संबंधित नही है।
1.4	कोहरे के मौसम में पटाखा सिगनल उचित रूप से प्रयोग किया जाय।	प्रमुपरिप्र	G & SR 3.61 के अनुसार पटाखा सिगनल का प्रयोग किया जाता है ।
1.5	कर्मचारियों से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार काम लिया जाय।	प्रमुइं	रेल कर्मचारियों से नियमानुसार ड्यूटी रोस्टर के अनुसार काम लिया जाता है।
1.6	आवश्यकता अनुसार समुचित जगहों पर कूड़ादान उपलब्ध कराया जाय।	प्रमुयांई	यांत्रिक(पावर) के अधीन आनेवाले सभी संस्थानों यथा रनिंग रूम, डीजल लॉबी, फ्यूलिंग प्वाइंट एवं संबंधित कार्यालयों में कूड़ेदान

		प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त पत्रसं.2017/ईएनएचएम/08/09, दिनांक 24.11.17 के निर्देशानुसार मुख्य प्रबंधक तकनीकी/ईएसएल को इस कार्यालय का पत्रांक ईसीआर/मेक/इएनभी/सीएसआर, दिनांक 28.12.17 द्वारा सूचित किया गया है कि पूमरे को कुल 10500 कूड़ेदान अविलंब उपलब्ध कराया जाए। रेल परिषद की दिशा निर्देश के अनुसार स्टेशनों पर दस मीटर की दूरी पर कुड़ादान उपलब्ध कराया गया है एवं कॉलोनियों में कुड़ादान की उपलब्धता की सुनिश्चितता इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जाना है। समुचित जगहों पर कूड़ादान उपलब्ध कराये जाते है।
1.7	स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाय।	सभी विभागाध्यक्ष	अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।– प्रमुसिदूइं समय–समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। –प्रविस **नोट किया गया।– मुसंधि** यांत्रिक(पावर) के सभी संस्थानों में **ऑपरेशन सक्षम** के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों को सफाई के प्रति जागरूक किए जाने का अभियान चला कर प्रशिक्षण दिया गया। # इसके लिए समय–समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स, स्टिकर के साथ–साथ रेडियो एवं लोकल टीवी चैनलों एवं समाचार पत्रों में स्वच्छता जागरूकता संदेश का प्रचार–प्रसार वृहत् स्तर पर किया जा रहा है। पूमरे के मोबाइल उपभोक्ता पर रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से

			संदेश प्रसारित किया जाता है। # रेलवे स्टेशन परिसर की स्वच्छता में सुधार हेतु कई गैर–सरकारी संगठन समय–समय पर भगीदारी निभा रहे है। –प्रमुयांई रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार समय–समय पर स्वच्छता अभियान के प्रति सभी को जागरूक बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।– प्रमुकाधि नोट किया गया ।– प्रमुपरिप्र स्टेशनों पर बैनर पोस्टर एवं पीए सिस्टम द्वारा जागरुक किया जाता है। कॉलोनियों हेतु मान्यता प्राप्त युनियनों का सहयोग आवश्यक है।– प्रमुचिनि अनुपालन किया जा रहा है।–प्रमुसाप्र समय–समय पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्वच्छता जागरुकता अभियान चलाया जाता है।– प्रमुइं
1.8	बायोट्ॉयलेट की बदबू से निजात दिलाया जाय।	प्रमुयांइं	बायोटॉयलेट की बदबू से निजात दिलाने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं। 1) सभी मंडलों में बायोटॉयलेट के समुचित रख–रखाव के लिए ए.एम. ओ.सी. किया गया है। 2) एल.एच.बी. कोच के शौचालय में एक्जास्ट फैन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। 3) आई.सी.एफ. कोच के शौचालय में उचित वेंटिलेशन के लिए एस.ई.सी. आर. के तर्ज पर उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था किया जाना है इसके लिए सभी मंडलों को निर्देश दिया गया है। 4) शौचालय में ऑटो जेनीटर और Odor control dispenser लगाने का दिशा–निर्देश दिया गया है।
2.0	**श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव / ईसीआरकेयू**		
2.1	पिछली बैठक में प्रशिक्षण संस्थान,	प्रमुपरिप्र	इस संबंध में प्राचार्य क्षेत्रीय रेल

	मुजफ्फरपुर, रनिंग रूम, रेस्ट रूम संबंधी सुझावों पर हुई प्रगति बताया जाय।		प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर एवं सभी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधकों को पत्र लिखा गया है ।
		प्रमुवाप्र	टीटीई रनिंग रूम में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं	जहां कमी है वहां सं बंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उतरोत्तर सुधार किया जा रहा है	
		प्रमुविइं	सोनपुर मंडल के सभी रनिंग रूम यांत्रिक विभाग के अधीन हैं।
		प्रमुयांइं	रनिंग रूम में क्रू की सुविधा हेतु बेड की संख्या बढाई गयी है। जैसे रनिंग रूम/बरौरी को विस्तारित कर 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रनिंग रूम के बेहतर रख रखाव हेतु रनिंग रूम/बरौरी में केबिन का निर्माण, रसोई घर में एक्जास्ट फैन, अतिरिक्त कूलर, रीडिंग लैम्प, एल. पी.जी. व्हील ट्रॉली उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही संपूर्ण रनिंग रूम को वातानुकूलित करने की प्रक्रिया चल रही है। आरआरएसके में उपलब्ध कोष के अर्न्तगत तीन प्रस्ताव जो कि तीनों रनिंग रूम के विस्तार एवं सुधार के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्ताव मंडल लेखा विभाग के विधीक्षण के उपरांत अभी मुख्यालय लेखा विभाग के पास है।
2.2	बडे स्टेशनों की साफ– सफाई हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को और तार्किक बनाई जाय।	प्रविस	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02. 2018 के माध्यम से पूर्व मध्य रेल के सभी मंडल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
		प्रमुचिनि	चिकित्सा विभाग के अधीन बड़े स्टेशनों की साफ–सफाई आउटसोर्स द्वारा किया जाता है। उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन की गई राशि लेखा विभाग द्वारा विधीक्षण के उपरांत ही कार्य के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

2.3	स्टेशन मास्टरों पर गाड़ी परिचालन के अलावा अन्य कार्यो का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र	नोट किया गया ।
2.4	कॉलोनियों की सफाई सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुचिनि	कॉलोनियों की सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक एवं वमंचिधि/स्वास्थ्य की देख रेख में नित्य किया जाता है।
2.5	आउटसोर्सिंग स्टाफ की समुचित संख्या सुनिश्चित की जाय।	प्रमुयांई	ओबीएचएस Mechanise Coach Cleaning, CTS, Water filling आदि आउटसोर्सिंग कार्य के लिए निर्धारित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए समर्पित पर्वेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा अधिकारी/पर्यवेक्षक स्तर पर औचक निरीक्षण किया जाता है।
			आउटसोर्सिंग कार्यों में स्टाफ की समुचित संख्या एल.ओ.ए. में ही सुनिश्चित कर दी जाती है।
		प्रमुचिनि	साफ सफाई से संबंधित आउटसोर्सिंग स्टाफ की समुचित संख्या की उपलब्धता की गणना कार्य के आधार पर की जाती है।
		प्रमुवाप्र	सफाई कार्य हेतु आउटसोर्सिंग मूलतः यांत्रिक एवं चिकित्सा विभाग से संबंधित है, जहां से टिप्पणी प्राप्त की जा सकती है।
2.6	स्वच्छता बनाये रखने से संबंधित मानक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुसाप्र,	स्वच्छता बनाये रखने से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
		प्रमुयांइं	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्टेशन एवं ट्रेनों के रख–रखाव संबंधी स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट प्रक्रियाधीन है।
		प्रमुचिनि	स्वच्छता बनाये रखने हेतु ठेकेदार द्वारा मानक सामग्रियों की ही आपूर्ति की जाती है।
		प्रमुवाप्र	सफाई कार्य हेतु आउटसोर्सिंग मूलतः यांत्रिक एवं चिकित्सा विभाग से संबंधित है। जहां से टिप्पणी प्राप्त की जा सकती है।
2.7	गाड़ियों के एसी कोच के साथ–साथ स्लीपर कोच की भी सफाई एवं इनमें पानी भरा जाना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुयांइं	गाड़ियों के एसी कोच के साथ–साथ स्लीपर कोच में भी सफाई और पानी भरा जाना सुनिश्चित किया जाता है। Mechanise Coach

			Cleaning, CTS, अंतर्गत सभी प्रकार के कोच सम्मिलित हैं। ओबीएचएस के अंतर्गत एसी कोच और स्लीपर कोच की सफाई का प्रावधान है।
2.8	मशीनीकृत सफाई को अपनाया जाय।	प्रमुयांइं प्रमुचिनि	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्टेशन एवं ट्रेनों के रख–रखाव संबंधी स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट प्रक्रियाधीन है। आंशिक रूप से मशीनीकृत सफाई को अपनाया गया है।प्लेटफॉर्म सरफेस की उचित व्यवस्था होने के बाद पूर्ण रूपेण मशीनीकृत सफाई को अपनाया जाएगा।
2.9	शंटिंग में पीछे की ओर हुटर लगाना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुपरिप्र	सिगनल विभाग द्वारा खरीदा गया Safe Shunt Unit मंडलों को उपल्बध कराया गया है ।
2.10	क्रू को गाड़ी आगमन की सूचना समुचित रूप से दिया जाय।	प्रमुविइं, प्रमुयांइं प्रमुपरिप्र	गाड़ियों के आगमन की संभवित समय परिचालन विभाग द्वारा बताया जाता है, उसी के अनुसार चालक दल को ड्यूटि पर बुलाया जाता है। क्रु को गाड़ी आगमण की सूचना संबंधित लॉबी से दूरभाष/मोबाईल से समय से दिया जाता है। साथ ही डीजल लॉबी/बरौनी एवं मुजफ्फरपुर में एन.टी.ई.एस. की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। डीजल लॉबी/सोनपुर का भी एन.टी.ई.एस. जल्द ही कार्य रूप ले लेगा। मोबाईल फोन से क्रू को गाड़ी आगमन की सूचना दी जाती है। समुचित रूप से दिया जाता है ।
2.11	वॉकी–टॉकी की बैट्री ठीक किया जाय।	प्रमुसिदूइं	वॉकी–टॉकी की बैट्री समय–समय पर आवश्यकतानुसार बदला जाता है। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये गये है।
2.12	केंद्रीय चिकित्सालय की बेंटीलेटर	प्रमुचिनि	केंद्रीय चिकित्सालय/पटना के लिए

	की मामला जल्द निपटाया जाय ।		वेंटीलेटर खरीद की संचिका दिनांक 22.12.17 को भंडार विभाग/पूमरे/हाजीपुर को भेजा गया है।
3.0	**श्री डी.के.पाण्डेय, अपर महासचिव, ईसीआरकेयू**		
3.1	कॉलोनी एवं स्टेशनो की साफ–सफाई से संबंधित टेंडरों में पारदर्शिता होनी चाहिए।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	कॉलोनी एवं स्टेशनों की साफ सफाई से संबंधित संविदा पारर्दशी तरीके से ही किया जाता है, जिसे लेखा विभाग के विधीक्षण, लॉ ऑफिसर द्वारा वैधानिक विधीक्षण के उपरांत टेंडर कमिटि द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। यांत्रिक विभाग एवं चिकित्सा विभाग से संबंधित निविदा को वेवसाईट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है	विशिष्ट टिप्पणी इन विभागों से प्राप्त किया जा सकता है	
3.2	परिचालन से जुड़े कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाब बनाने से बचना चाहिए।	प्रमुपरिप्र	कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता है ।
3.3	एक ही समय में दो अलग–अलग लाईनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के अलावा एक अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहना चाहिए ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की सूचना संप्रेषित कर सके ।	प्रमुइं	ट्रैक में कार्य के दौरान अलग–अलग लाईनों की सुरक्षा IRPWM के अनुसार किया जाता है।
3.4	सेफ्टी सेमिनार में कर्मचारियों की बातों को भी शेयर किया जाय।	मुसंधि	नोट किया गया।
3.5	प्रशिक्षण संस्थानों को पारदर्शी बनाया जाय।	प्रमुविइं प्रमुयांइं प्रमुपरिप्र प्रमुसिदूइं	विद्युत कर्षण चल स्टॉक के अधीन चल रहे प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णतः पारदर्शी है। इसमें किसी तरह की आपति नहीं हैं। प्रशिक्षण केंद्र पूर्णतः पारदर्शी है। पूर्णतः पारदर्शी है। अनुपालन सुनिशिचित किया जा रहा है।
3.6	सभी रिक्त पदों को भरा जाय।	प्रमुकाधि	पूमरे के रिक्त पदों को भरने हेतु संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) को इंडेंट प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही साथ सभी मंडलों/ईकाईयों को

			पदोन्नति कोटा को भरने हेतु निर्देशित किया गया है।
4.0	**श्री एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव / ईसीआरकेयू**		
4.1	स्टेशनों की सफाई तीनों पाली में किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	प्रमुइं, प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	यह चिकित्सा विभाग से संबंधित मामला है। तीनों पाली में किया जाता है। रोड साइड स्टेशनों पर यात्रियों का आवागमन मुख्यत: दिन की पाली में ही होता है	इसलिए दिन की पाली में स्टेशनों की साफ़-सफाई हेतु सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं	
4.2	रेल परिसर में उगे खर पतवारों को मशीन से कटवाया जाय ।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	सुनिश्चित किया जाता है। समय-समय पर इं जीनियरिंग विभाग के द्वारा खर-पतवार की साफ़-सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जाता है	विशिष्ट टिप्पणी इंजीनियरिंग विभाग से प्राप्त की जा सकती है	
4.3	रेलवे कॉलोनी में चल रहे खटालों को अबिलंब हटाया जाय।	मुसुआ प्रमुइं	सभी मंडलो में सुरक्षा विभाग द्वारा रेलवे कॉलोनी में चल रहे खटालो को हटाने में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। समय–समय पर अतिक्रमण से मुक्ति का अभियान चलाया जाता है। इस कार्य में आरपीएफ का सहयोग एवं कॉलोनी वासियों का सहयोग अपेक्षित है।
4.4	स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए पोस्टर,बैनर, उद्घोषण का प्रयोग किया जाना चाहिए ।	प्रमुचिनि, प्रमुवाप्र	स्वच्छता के प्रति जागरुकता के लिए पोस्टर, बैनर, उद्घोषण का प्रयोग किया जाता है। पोस्टर एवं बैनर तथा जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है	इसके अलावे क्विज के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान करते हुए साफ़-सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है	
4.5	प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण में यूनियनों को शामिल किया जाना चाहिए।	प्रमुसिदूइं प्रमुविइं	अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। नोट किया गया।

		प्रमुपरिप्र	नोट किया गया।
5.0	**श्री पी.के.सिंह, जोनल महासचिव, ओबीसी एशोसियशन**		
5.1	कॉलोनी में पड़े गंदगी के अंबारों को तुरंत हटया जाय।	प्रमुचिनि	कॉलोनी में पड़े गंदगी के अंबारों को ठेकेदारों द्वारा नगरपालिका के नामित स्थलों पर निर्धारित समय पर निपटारा किया जाता है।
5.2	कॉलोनी में मनोरंजन केंद्रों की स्थापना की जाय।	प्रमुकाधि	इसे नोट किया जाता है। बड़े– बड़े स्टेशनों पर कॉलोनी में मनोरंजन केन्द्र उपलब्ध है। फिर भी मांग के अनुसार विचार किया जायेगा।
5.3	स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की जाय।	प्रमुइं	मानक के अनुसार सभी स्टेशनों/कॉलोनियों में स्वच्छ पेय जल की अपूर्ति की जा रही है।
5.4	साफ–साफाई के कार्यों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा इस मद की राशि का समुचित प्रयोग होना चाहिए ।	प्रविस प्रमुयांइं प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02. 2018 के माध्यम से पूर्व मध्य रेल के सभी मंडल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। नोट किया गया। साफ–सफाई के कार्यो से संबंधित मदों का समुचित प्रयोग किया जाता है। असामाजिक तत्वों के प्रवेश से रोक चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है। नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
5.5	स्टेशनों पर पॉलिथीन लगा हुआ डस्टवीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इसमें संग्रहित कचरों का उठाव एवं डिस्पोजल समुचित रूप से कराया जाय।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	स्टेशनों पर पॉलिथीन लगा हुआ डस्टवीन उपलब्ध कराया जाता है साथ ही साथ ठेकेदारों द्वारा नगरपालिका के नामित स्थलों पर निर्धारित समय पर निपटारा भी किया जाता है। इस विषय का अनुपालन पूर्व में ही सुनिश्चित किया जा चूका है।
5.6	लंबी दूरी की गाड़ियों में संग्रहित कचरों को यथा स्थान निकाल लिया जाना चाहिए।	प्रमुयांइं	लंबी दूरी की गाडियों में संग्रहित कचरों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित स्टेशन को नामित किया है। 1) मुगलसराय 2) पटना 3) बरौनी 4) गोमो

5.7	वाशरूम में ही डस्टवीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इसके प्रयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।	प्रमुयांई प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	बायोटॉयलेट के लिए कूड़ेदान का क्रय प्रक्रियाधीन है। सुनिश्चित किया जाता है। सभी उपयुक्त स्थानों पर डस्टबीन का प्रावधान किया जा चुका है और निर्देश-पट्टिका, पोस्टर, बैनर या उद्घोषणा प्रणाली द्वारा इस आशय का अनुरोध भी यात्रियों से किया जाता है।
5.8	कोहरे के मौसम में पटाखा, फौग सिगनल का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा सिगनलों की समुचित पेंटिंग की जानी चाहिए ।	प्रमुसिदूइं प्रमुपरिप्र	सिगनलों की समय– समय पर समुचित पेंटिंग की जाती है जिससे प्रत्येक सिगनल की दृश्यता सही रहती है। इस संबंध में मंडलों को मुख्यालय से लगातार पत्र लिखा गया है ।
5.9	लोको के वाइपर समुचित रूप से कार्यरत होना चाहिए तथा इसमें बालू समुचित भरा होना चाहिए ।	प्रमुविइं, प्रमुयांइं	समय–समय पर एक विशेष ड्राईव के अधीन इंजनों के वाइपर का काम तथा Sand Boxes में बालू का होना सुनिश्चित किया जाता है। सभी मंडलों को मुख्यालय से इंजनों के खराब वाइपर एवं बालू रहित इंजनों को ट्रैफिक कार्य में नही भेजने के आदेश भी जारी किया जा चुका है तथा Foot Plate निरीक्षण के दौरान इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेल/एक्स./सवारी गाडियों एवं मालगाडियों की नियमित रूप से मुलोनि द्वारा फूट प्लेट कराया जा रहा है तथा उनके रिपोर्ट के आधार पर जो वाईपर कार्यरत नहीं है, संबंधित शेडो को रिपोर्ट भेजा जा रहा है। छपरा प्वाइंट से तथा कटिहार प्वाइंट से मिलने वाले लोको के सैंड बॉक्स में बालू होना सुनिश्चित किया जाता है तथा सोनपुर मंडल में लोको के सैंड गियर में बालू भरने की कार्रवाई की जा रही है। सभी लॉबी एवं इंधन केंद्र पर बालू उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जा रही है।
5.10	पेड़ों की टहनिया बड़ी हो जाने से सिगनलों की दृश्यता प्रभावित होने पर इन टहनियों की समुचित छटाई	प्रमुइं	समय–समय पर पेड़ों की टहनियों की छटाई की जाती है।

	की जानी चाहिए।		
5.11	ट्रैक की समुचित पेट्रोलिंग होनी चाहिए ।	प्रमुइं	ट्रैक की पेट्रॉलिंग IRPWM और LWR मैनुअल के अनुसार की जाती है।
5.12	सिगनल की लाइटिंग समुचित होनी चाहिए ।	प्रमुसिदूइं	यह संरक्षा संबंधित मुद्दे है। इसे कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जा रही है।
5.13	स्टेशनों से गाड़ी गुजरते समय आल राईट सिगनल का आदान प्रदान दोनो ओर की जानी चाहिए।	प्रमुपरिप्र	ऐसा ही किया जाता है ।
5.14	वॉकी–टॉकी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए ।	प्रमुसिदूइं	वॉकी–टॉकी की स्थिति अच्छी रखने हेतु खराब हुए सेटों की समय–समय पर मरम्मत कराई जाती है ताकि ये सुचारू रूप से कार्य कर सके ।
6.0	**महेंन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष, एससी.एसटी संघ**		
6.1	आस–पास के नगरपालिका का जल निकासी रेल परिसर तक आकर रूक जाती है। अतः इस संबंध में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जल निकासी निर्वाध रूप से हो जाय।	प्रमुचिनि प्रमुइं	सुनिश्चित किया जाता है। इस दिशा में सभी मंडल सत्त प्रयास करते है कि जल जमाव रेल परिसर में न हो।
6.2	मुगलसराय ओवर ब्रिज के आस–पास नगरपालिका का कुड़ा डाल दिया जाता है इससे निजात दिलाया जाय।	प्रमुसुआ, प्रमुइं	इस संबंध में वरि0 मंसुआ/रेसुब /मुगलसराय द्वारा वरि0 मंडल इंजी0/समन्वय पूमरे/मुगलसराय को पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। कूड़ा के निदान के लिए अधिशासी अधिकारी, नगरपलिका परिषद, मुगलसराय को मुगलसराय मंडल द्वारा पत्र दिया गया है उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्य करा दिया जाएगा।
6.3	कॉलोनी में निश्चित स्थानों पर कुड़ादान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।	प्रमुचिनि	कॉलोनियों में कूड़ा रखाव हेतु चिन्हित किया गया है । अतः अलग से कुड़ेदान की आवश्यकता नहीं है।
6.4	कॉलोनी की चाहरदीवारी को उचित रूप से संरक्षित किया जाय।	प्रमुइं	निधि की उपलब्धता के अनुसार कॉलोनी की चाहरदीवारी कराई जाती है। कभी–कभी कॉलोनी के लोगो के द्वारा एवं कॉलोनी के बाहरी लोगो के द्वारा अपनी सुविधा हेतु चाहरदीवारी को तोड़ दिया जाता है।
6.5	रात्रि में एक साथ दो पेट्रोलमैन	प्रमुइं	रात्री में दो पेट्रोल मैन की तैनाती

	लगाया जाय तथा इनका मिलने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए तथा इनके टूल्स ठीक प्रकार से उपलब्ध होना चाहिए ।		की जाती है एवं उनके मिलने का स्थान भी सामान्यतः निश्चित रहता है। कार्य के अनुरूप नियमानुसार सभी आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराये जाते है।
6.6	ड्राइवर एवं गार्ड पर अनावश्यक दवाब न बनाया जाय तथा रोस्टर के अनुसार ही ड्यूटी लिया जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुविइं प्रमुयांइं	अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता है व रोस्टर के अनुसार ही कार्य दिया जाता है । क्रू की बुकिंग CMS के माध्यम से किया जाता है, जिसमें यह स्वतः सुनिश्चित हो जाता है कि जो क्रू पहले Off Rest होते है उनकी बुकिंग पहले हो। ऐसा नहीं होने की दशा में CMS में एक स्पष्ट संदेश आता है जिन पर क्रू लॉबी निरीक्षण के दौरान विशेष ध्यान दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। एच.ओ.ई.आर. में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही चालक से कार्य लिया जा रहा है एवं मेल एक्स. /सवारी तथा माल चालकों के पदों पर स्वीकृति के अनुसार भर दिया गया है ताकि रोस्टर ब्रेक न हो।
7.0	**श्री आर.एन.पासवान, जोनल सचिव एस.सी एण्ड एस.टी एशोसिएसन**		
7.1	सफाई में लगे सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों की मनोदशा ऊंचा रखने का प्रयास किया जाय।	प्रमुवाप्र प्रमुयांइं प्रमुचिनि	सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। सफाई में लगे कर्मचारियों के प्रति हमेशा सद्भाव रखा जाता है साथ ही उनके परिवाद को प्रमुखता के साथ उसका निवारण किया जाता है, साथ ही इसके लिए सधन अभियान चलाया जा रहा है। सुनिश्चित किया जाता है।
7.2	कॉशन आर्डर समुचित रूप से स्पष्ट लिखावट में सावधानी पूर्वक जारी किया जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुविइं	ऐसा ही किया जाता है । यह परिचालन विभाग के अधीन है।
7.3	कर्मचारियों की सुविधाओं का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाय।	सभी	कर्मचारियों की सुविधाओं का पूरा–पूरा ध्यान रख जाता है। प्रत्येक

		विभागाध्यक्ष	माह इस हेतु विभागीय स्तर पर मीटिंग की जाती है।– प्रमुसिदूइं कर्मचारियों की सुविधाओं का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता है। –प्रविस नोट किया गया।– मुसंधि नोट किया गया।– प्रमुविइं कर्मचारियों के सभी देय सुविधाओं पर विषेश ध्यान दिया जा रहा है तथा इस संबंध में डीजल लॉबी प्रभारी को उनके परिवाद को प्रमुखता से निवारण हेतु निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों की शिकायतों का निष्पादन के लिए शिकायत पुस्तिका का प्रावधान है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए डिपो में शौचालय, साईकिल स्टैंड इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। –प्रमुयांइं इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। – प्रमुकाधि सुनिश्चित किया जाता है। –प्रमुचिनि कर्मचारियों की सुविधाओं का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता हैं।–प्रमुसाप्र नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। –प्रमुवाप्र कर्मचारियों को नियमानुसार सभी सुविधॉए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है।– प्रमुइं
7.4	वॉकी–टॉकी ठीक होनी चाहिए तथा प्रयोग करने वाले पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुविइं प्रमुसिदूइं	प्रयोग करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है । On Duty Running कर्मचारी द्वारा डयूटी पर जाने के पूर्व वॉकी – वॉकी की समुचित जॉच कर ली जाती है और ये कर्मचारी वॉकी–टॉकी संभालने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित है। नये लोग पुराने लोग के संपर्क में इसका प्रशिक्षिण प्राप्त कर रहे है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

		प्रमुयांइं	चालक दल वॉकी–टॉकी के कार्य में दक्ष है। अप्रशिक्षित व्यक्ति को वॉकी–टॉकी का प्रयोग करने के लिए सिखाया जाता है तथा जितने भी वॉकी–टॉकी जिनके बातचीत का रेंज कम था या घड़घराहट था उसे नये बैट्री बदलकर पूर्ण रूपेण ठीक कर दिया गया है। ऑन ड्यूटी के समय क्रू को सही वॉकी–टॉकी उपलब्ध कराया जाता है।
8.0	**श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष ईसीआरपीएफए**		
8.1	कुड़े के निपटान हेतु निश्चित स्थान चिन्हित किया जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र प्रमुयांइं प्रमुचिनि	सभी उपयुक्त स्थलों पर ही कूड़े- कचरे का निपटारा किया जाता है। चिन्हित है। नगरपालिका द्वारा नामित स्थलों पर निपटारा किया जाता है।
8.2	गंदगी फैलाने पर रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार दंड के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाय।	प्रमुवाप्र प्रमुयांइं प्रमुचिनि प्रमुसुआ	गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के नियमानुसार आर्थिक जुर्माना रु. 500/- वसूला जाता है। संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) प्रक्रियाधीन है। दंड के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाता है। रेलवे परिसर, स्टेशन आदि स्थानो पर गंदगी फैलाने वालो के विरूद्ध रेल दंड अधिनियम के तहत मंडलो द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार दंड के प्रावधान को रेसुबल एवं वाणिज्य विभाग से समन्वय कर सख्ती से लागू किया जा रहा है।
8.3	मानवरहित समपार के आस–पास बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए ।	प्रमुइं	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
8.4	कुहासे में विलम्ब से चल रही गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान की सूचना प्लेटफार्म सहित समुचित रूप से समय–समय पर दिया जाय।	प्रमुवाप्र	इसकी सूचना सं बंधित स्टेशनों द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के वेवसाईट पर सभी सूचनाएं उपलब्ध है।
8.5	मानवरहित समपारों पर गेट मित्र उपस्थित रहने चाहिए।	प्रमुइं	सभी मानवरहित समपारों पर गेट मित्रों की व्यवस्था की गई है।
8.6	आरपीएफ की पीएनएम शुरू कराई	प्रमुकाधि	ये मद कार्मिक विभग से संबंधित

	जाय।	प्रमुसुआ	नही है। अनुपालन हेतु नोट किया गया।
9.0	**श्री ओ.पी.चौधरी, कार्यकारी महासचिव, ईसीआरपीएफए**		
9.1	हाजीपुर स्टेशन स्थित नार्थ कॉलोनी की चाहरदीवारी ठीक कराई जाय ।	प्रमुइं	इसके लिए संबंधित इकाई को जॉच कर आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया गया है।
9.2	पटना साहिब स्टेशन पर शौचालय अविलम्ब बनाई जाय।	प्रमुइं	पटना साहिब स्टेशन पर वर्त्तमान में 06 शौचालय है, अतिरिक्त शौचालय निर्माण करने हेतु मंडल को पत्र लिखा गया है।
9.3	कॉलोनी में निश्चित अंतराल पर फागिंग कराई जाय।	प्रमुचिनि	सुनिश्चित किया जाता है।
9.4	आरपीएफ के इंटरचेंजिंग स्टेशनों पर रनिंग रूम बनवाया जाय।	प्रमुसुआ प्रमुइं	इंटर चेजिंग स्टेशनों पर रनिंग रूम के लिए सभी मंडलो को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इस तरह का कोई नीतिगत प्राधिकार इंजी0 विभाग को संबंधित विभाग से नहीं मिला है।
9.5	आरपीएफ को भी एसबीएफ का सदस्य बनाया जाय।	प्रमुसुआ	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
10.0	**श्री एस.के.कौशिक, प्रधान वित्त सलाहकार**		
10.1	पुराने नालियों की संरचना बदला जाय तथा इसे ढ़क कर रखा जाय एवं इसकी सतत् सफाई कराई जाय।	प्रमुइं	इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित कार्य नोट किया गया है नालियों की सफाई का कार्य चिकित्सा विभाग के अधीन है।
10.2	ऐसी व्यवस्था किए जाय कि कुड़े का उठाव घर–घर हो जाय।	प्रमुचिनि	संभव प्रतीत नहीं होता है।
11.0	**श्री राकेश तिवारी , प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर**		
11.1	साफ सफाई से संबंधित ठेके को सर्विस ठेका के रूप में पारिभाषित किया जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुचिनि प्रमुयांइं	इन सुझावों को नोट किया गया। नीतिगत मामला है। रेलबे बोर्ड द्वारा इस संबंध में यदि कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उसका अनुपालन किया जाएगा।
12.0	**श्री अनिल शर्मा, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर**		
12.1	साफ–सफाई में लगे लोगों की न्युनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुचिनि, प्रविस	न्युनतम मजदूरी का भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02. 2018 के माध्यम से पूर्व मध्य रेल के

			सभी मंडल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
12.2	साफ सफाई से संबंधित ठेको का मापदंड बदला जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुयांइं प्रमुचिनि	इन सुझावों को नोट किया गया। साफ–सफाई से संबंधित ठेकों का मापदंड रेलबे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार तय किया जाता है। नीतिगत मामला है।
12.3	कूड़ा का निपटान इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित किया जाय कि यह जीरो वैल्यू से प्लस वैल्यू में आ जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुयांइं प्रमुचिनि	इन सुझावों को नोट किया गया। Waste to energy के लिए RITES के द्वारा केंद्रीयकृत निविदा किया गया हैं जिसके तहत पाटलीपुत्र स्टेशन के साथ–साथ भारत के चुनिंदा स्टेशनों पर M/s Pwlma द्वारा प्लांट लगाया जाना है ताकि कूड़ो का सदूपयोग उर्जा निर्माण में हो सके। कूड़ा का निपटान निर्धारित समय पर किया जाता है।
13.0	**श्री अनूप कुमार, अपरमहाप्रबंधक**		
13.1	बैठक की एक या दो चुने हुए मुद्दो को रेखांकित कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	उपमहाप्रबंधक ⁄ सा0	मद सं. 1.1 पर कार्रवाई सुनिशिचित करने हेतु प्रमुचिनि को पत्र लिखे गये है।
13.2	कॉलोनी केयर कमिटि को जागृत किया जाय।	प्रमुचिनि	सुनिश्चित किया जाता है।
13.3	कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाये जिसमें कॉलोनी वासियों का भी योगदान हो,एवं जिसके स्वामित्व पर उन्हें गर्व हो।	प्रमुइं प्रमुविइं प्रमुचिनि	सभी मंडलो को पत्र के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। नोट किया गया। चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है।

*****